बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Email

महत्वपूर्ण

पत्रांक-प्र06-रा0कू0(मुद्रण)-04/2011 2810 खाद्य, पटना/दिनांक- 8/5/2012

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- राशन एवं किरासन कूपन वितरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-2734 दिनांक- 04.05.2012 द्वारा राशन एवं किरासन कूपन वितरण संबंधी कार्यक्रम एवं रोस्टर विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । उक्त पत्र के साथ राशन एवं किरासन कूपन वितरण हेतु कार्यक्रम में पंचायतवार/वार्डवार कूपन वितरण हेतु अवधि दिनांक- 15.05.2012 से 25.05.2012 तक निर्धारित की गई है । नगर निकायों/पंचायतों के आसन्न चुनाव के मद्देनजर राज्य के शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है । अतएव शहरी क्षेत्रों में कूपन वितरण के लिए दिनांक- 20.05.2012 से 25.05.2012 तक अवधि निर्धारित की जाती है, तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

उक्त पत्र के माध्यम से जिलों से विहित प्रपत्र में राशन/किरासन कूपन वितरण के संबंध में संलग्न कार्यक्रम के अनुरूप कार्रवाई कर कूपन वितरण हेतु रोस्टर विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो अभी तक अप्राप्त है ।

अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में दो दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\Year 2011\Mislinis folder\Sec_6.doc